

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)**

E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com

Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 1198 / 31/10/20

दिनांक 06/09/2021

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, कोटबंगला,
उत्तरकाशी।

विषय :- प्रपोजल संख्या **FP/UK/ROAD/40975/2019** विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव भडेश्वर मन्दिर तक मोटर मार्ग।

महोदय,

विषयक प्रपोजल संख्या **FP/UK/ROAD/40975/2019** विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव भडेश्वर मन्दिर तक मोटर मार्ग पर लगी आपत्तियों का फार्म ए. संशोधन कर दिया गया है। आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं	आपत्ति	आख्या
1	प्रस्ताव में संलग्न पृष्ठ संख्या 34 विस्तृत आख्या के प्रमाण-पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न पृष्ठ संख्या 3 विस्तृत आख्या के प्रमाण-पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कराकर Additional information के क्रमांक 62 पर अपलोड कर दिया गया है।
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग 2 में दिनांक अंकित नहीं है।	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग 2 में दिनांक अंकित कर Additional information के क्रमांक 63 पर अपलोड कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण आख्या (पृष्ठ संख्या-17) में सूचना पूर्णतः अंकित नहीं किया गया है। कृपया पूर्ण सूचना अंकित करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण आख्या (पृष्ठ संख्या-17) में सूचना पूर्णतः अंकित कर Additional information के क्रमांक 64 पर अपलोड कर दिया गया है।
4	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न किये जाने वाले संलग्न प्रमाण-पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न किये जाने वाले संलग्न प्रमाण-पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर कर Additional information के क्रमांक 65 पर अपलोड कर दिया गया है।

5	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 41, वन भूमि मूल्य प्रमाण-पत्र में वर्तमान बाजार दर से मूल्य अंकित नहीं किया गया है।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 41, वन भूमि मूल्य प्रमाण-पत्र में वर्तमान बाजार दर से मूल्य अंकित कर Additional information के क्रमांक 66 पर अपलोड कर दिया गया है।
	The name of the person making the application as mentioned in Part I at A_3-(i)(ii)(iii) is as Dhirendra Kumar bisht while the person authorised as per the authority letter uploaded at A-3 (xvii) is Mr. Suresh Kumar Tomar. Kindly upload the new authority letter to rectify the name as mentioned in the relevant column in FormA, Part I, also the name and designation of the competent authority is not mentioned in the authority letter, kindly ensure to mention the same in the authority letter before uploading the same after rectification.	forests clearance पर User Agency की User ID की Profile में वर्तमान में तैनात अधिशासी अभियन्ता का नाम एवं मो0 नम्बर आदि विवरण अपडेट कर दिया गया है, जिससे competent authority और authority letter कोई भिन्नता नहीं रह गयी है।
	Still no alignment is marked in the uploaded KML file (screenshot is attached for your reference)	Part A के para C (Maps of forest land proposed to be diverted) में alignment की सही KML File upload कर दी गयी है।
	Still annexure 22, signed by the CF is not uploaded. Kindly upload the same.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
	also upload the bar chart, land schedule, aerial distance certificate, NPV certificate, CA scheme and site suitability certificate and other relevant document as additional information in Part II	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त सभी अभिलेख Additional information में पूर्व से ही अपलोड है। Part-II में प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से कार्यवाही की जानी है।

भवदीय

 अधिशासी अभियन्ता,
 निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
 चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी